न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 17/2022

1. हाकम अली पुत्र नुरदीन जाति छीम्पा मुसलमान निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कालूराम पुत्र रामसिंह जाट ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जगतपाल पुत्र माडूराम जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (अपीलान्ट)।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री सुरेन्द्र प्रतापसिंह भारी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री रोहिताश सिंहाग अधिवक्ता, पंचायत समिति नोहर
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2, 3

निर्णय दिनांक– 22.02.2023

निगरानीकर्ता हाकम अली पुत्र नुरदीन जाति छीम्पा मुसलमान निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने निर्णय दिनांक 30.09.2022 पीठासीन अधिकारी सोहनलाल अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर अपील संख्या 71/22 जिसकी रूह से पट्टा संख्या 18 दिनांक 16.12.2004 बहक हाकम अली प्रार्थी के पट्टा मे से आशिंक हिस्सा 14 x 15 माप तक पट्टा खारिज किये जाने पर पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 30.09.2022 के विरूद्ध निगरानी पेश की है, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है–

यह कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपील अपीलान्ट द्वारा पट्टा सं. 18 दिनांक 16.12.2004 को पट्टा खारिज करवाने हेतु यह अपील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 91 जाब्ता दिवानी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम ढिलकी जाटान तहसील नोहर के रहने वाले है। भूमि ढिलकी जाटान में सामुदायिक भवन व डेरा धर्मशाला के सामने सदियों पुरानी चौगान की भूमि है, जो सार्वजनिक हित की है, जो चौगान की भूमि न केवल अपीलार्थीगण वरन् ढिलकी जाटान के समस्त ग्रामवासी व अन्य आने जाने वाले प्रत्येक नागरिक के हित की है। उक्त चौगान की भूमि को शामिल करते हुए अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रत्यार्थी संख्या–2 से कतई नियम विरूद्ध पंचायत राज के आज्ञापक प्रावधानों के खिलाफ अपीलान्ट ने पट्टा जारी करवा रखा है व

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रत्यार्थी संख्या–1 उक्त पट्टा के आधार पर अपनी कब्जा शुदा भूमि से आगे बढ़कर सार्वजनिक हितार्थ चौगान की भूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण करने पर आमादा है। इसलिए ढिलकी जाटान के समस्त वासीन्दगान द्वारा सार्वजनिक हितार्थ अपीलान्टगण को अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी उक्त अपीलाधीन पट्टा के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया हुआ है इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील सार्वजनित हितार्थ समस्त ग्रामवासी ढिलकी जाटान की ओर से पेश की जा रही है। आबादी भूमि ढिलकी जाटान स्थित सामुदायिक भवन व धर्मशाला के सामने चौगान की भूमि है, जो सार्वजनिक हित की है, उक्त चौगान की भूमि पर ग्राम पचायंत द्वारा ईन्टरलॉक सड़क व दोनो तरफ नाली बनाई हुई है। उक्त सार्वजनिक हितार्थ चोगान की भूमि के चिपते 36 X 14 फीट माप के प्रार्थी संख्या–1 का कब्जा शुदा भूखण्ड है। जिस पर उसका निर्माण है। प्रत्यार्थी संख्या–1 के भूखण्ड के निमार्ण के आगे प्रत्यार्थी संख्या– 2 द्वारा इन्टरलॉक सड़क बनाई जाकर नाली बनी है। दिनांक 18.07.2022 को अपीलार्थीगण व ग्राम ढिलकी के मौजिज व्यक्तिगण सामुदायिक भवन के सामने उक्त चौगान की भूमि पर खडे थे। उस समय प्रत्यार्थी संख्या–1 वहां आया व अपने पहले से कब्जा शुदा 36 X 15 फीट माप की भूमि से 14 X 15 फीट माप में आगे बढ़ते हुए चौगान की भूमि पर निर्माण करने का अपीलार्थीगण व अन्य उपस्थित व्यक्तियों को कहा जिस पर अपीलार्थीगण व अन्य उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि सार्वजनिक हितार्थ व चौगान की होना कहने पर प्रत्यार्थी संख्या 1 ने उसी समय एक पट्टा की प्रति अपीलार्थी को दी तथा कहा कि उसके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा 50 X 15 फीट माप का पट्टा जारी है। वह उक्त पट्टा के आधार पर चौगान की भूमि को शामिल कर निर्माण करेगा। प्रत्यार्थी संख्या–1 द्वारा मौका पर पट्टा की प्रति देने पर उक्त पट्टा का अवलोकन किया गया तो पता चला कि प्रत्यार्थी संख्या–1 ने प्रत्यार्थी संख्या–2 से साजबाज कर कतई नियम विरूद्ध अपने कब्जा शुदा भूमि से ज्यादा भूमि का पट्टा संख्या 18 मि.स. 18/2004 रसीद संख्या 48 के जरिये दिनांक 16.12.2004 को भूमि तादादी 50 X 15 फीट यानी 750 वर्गफीट माप का बनवाया है। अपीलार्थीगण व अन्य द्वारा प्रत्यार्थी संख्या–1 को उक्त पट्टा सार्वजनिक चौगान की भूमि का जारी होने से खारिज करवाने का कहा तो प्रत्यार्थी इन्कार हो गया। जिस पर अपीलार्थी व अन्य ग्राम के मोजिज व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा में से 14 X 15 फीट माप की भूमि का खारिज करने का कहा तो प्रत्यार्थी संख्या–2 ने इन्कार कर दिया। उक्त पट्टा पंचायत राजस्थान अधिनियम 157 के तहत जारी है। उक्त नियम के तहत 50 वर्ष से अधिक का पुराना मकान बना होने पर पुराने गृहो का विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी किया जाता है। जबकि प्रत्यार्थी संख्या–1 का पट्टा में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर कभी कब्जा नही रहा ना ही वर्तमान में है। उक्त भूमि में से केवल 36 X 15 फीट माप के भूखण्ड पर प्रत्यार्थी संख्या–1 का कब्जा है। यानी शेष 14 X 15 फीट माप की भूमि जो चौगान की भूमि है। इसलिए उक्त पट्टा पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने से आशिंक रूप से खारिज किया जाने योग्य है। पचांयत द्वारा उक्त कार्यवाही पंचायत द्वारा कब्जा से अधिक जगह का जारी किया गया है। पट्टा की आड में अपने कब्जा की भूमि से आगे बढकर सार्वजनिक चौगान की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। परन्तु उक्त पट्टा में वर्णित कुल भूमि में से 14 X 15 फीट माप की भूमि विवाह पार्टी अन्य आयोजनों के समय वहा पर टेन्ट लगाने वाहन खडा करने धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक समारोह करने से उपयोग में आती है। यदि

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रत्यार्थी संख्या–1 अपने मकसद अनुसार पट्टा के आधार पर कब्जा करने मे कामयाब हो गये तो अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए 14 X 15 फीट तक पट्टा खारिज किया जावें उक्त भूमि चौगान की भूमि है। उस पर अपीलान्ट का कब्जा नही रहा है तथा उक्त भूमि पर इन्टरलॉक सड़क व नाली बनी है तथा उक्त पट्टा का ज्ञान दिनांक 18.07.2022 को हुआ है। ज्ञान के आधार पर अपील अन्दर मियाद है। अपील सार्वजनिक हित की है। इसलिए पट्टा आशिंक रूप से खारिज किया जावें। अपील दर्ज कर मौका निरीक्षण करने हेतु नियुक्त कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये।

2. यह कि अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ढिलकी जाटान में सामुदायिक भवन आदि पट्टा फर्जी बनाया है। दौराने अपील प्रत्यार्थी संख्या–1 ने अपनी आपत्तियां लिखित में पेश की साथ ही प्रत्यार्थी द्वारा उक्त पट्टा की भूमि बाबत् ग्राम पंचायत के खिलाफ किये गये शिकायती प्रार्थना–पत्र की प्रतिया व अपने पट्टा की प्रति पेश की व बताया कि उक्त पट्टा उसके नाम से सन् 2004 में 15 X 50 फीट माप का बना है। जिसमें से 15 X 35 फीट की दुकान है। शेष बची जगह पर शेड बना हुआ था। उसकी पट्टे शुदा भूमि पर से सरपंच व ग्राम सेवक ने रजिंश वंश तोड़ फोड़ की है। उसके द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारी पुलिस आदि को शिकायत की गई परन्तु सरपंच ऊंची पहुँच का होने से उनकी सुनवाई नही की जा रही है । अन्त में अपील खारीज करने का निवेदन किया। प्रत्यार्थी संख्या–2 ने उपस्थित होकर उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रति व अपनी रिपोर्ट क.सं. 75 दिनांक 30.09.2022 की प्रति पेश की। बैठक मे विचार विमर्श किया पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों व दस्तावेजों पर विचार किया गया मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पेश मौका नक्शा का अवलोकन किया। अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन पट्टा संख्या 18 मिस. 18/04 दिनांक 16.12.2004 ग्राम पचायंत ढिलकी जाटान द्वारा भूमि तादादी 15 X 50 यानी 750 वर्गफीट माप का पुराने घरों के विनियमितिकरण का बहक हाकम अली के नाम से जारी है जबकि अपीलार्थीगण प्रार्थी संख्या–1 ने उक्त पट्टा में से 36 X 15 फीट में प्रत्यार्थी संख्या–1 का कब्जा माना है। शेष भूमि पर पक्की सडक नाली आदि बनी होना बताया है। इस प्रकार प्रत्यार्थी संख्या–1 द्वारा दिनांक 25.01.2022 को श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को पेश प्रार्थना–पत्र में भी अपने पट्टे शुदा भूखण्ड में से 15 X 35 फीट माप में दुकान बना रखी होना अंकित किया है। तथा साथ ही सुनवाई के दौरान भी अपने मौखिक कथनों में पट्टा में से 15 X 36 फीट माप में दुकान बना रखी होना स्वीकार किया है तथा आगे यह अभिकथन किया कि उसके पट्टा की भूमि में से ग्राम पचायंत ने जबरदस्ती सडक का निर्माण कर दिया तथा नाली बना दी अपीलार्थी व प्रत्यार्थीगण के दस्तावेज मौखिक कथनों व नकशा मौका से हाकम अली की दुकान 15 X 36 फीट में बनी होना साबित है जबकि पट्टा 15 X 50 फीट माप का है और पट्टा नियम 157 तहत जारी है। कानूनन इस नियम के अनुसार पुराने कब्जे को भी विनिमियत किया जाता है। इस प्रकार पट्टा में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर हाकम अली का पुराना कब्जा होना साबित नही है। यानि पट्टा हाकम अली के पुराने कब्जा से ज्यादा भूमि पर बना होना साबित है। इसलिए उक्त पट्टा में से आशिंक पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित है, आदि–आदि पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रार्थी के नाम बना पट्टा में से आशिंक हिस्सा 14 X 15 फीट माप तक के पट्टा को खारिज किया गया। उपरोक्त

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांक 30.09.2022 से व्यथित होकर निगरानी निम्न आधारों पर पेश है। नकल निर्णय सलंग्न है।

आधार– निगरानी

(1) यह कि अधीनस्थ कार्यालय का निर्णय दिनांक 30.09.2022 विधि विरूद्ध कानूनी एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त करने योग्य है।

(2) यह कि अधीनस्थ कार्यालय ने अपना आदेश निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली तथा उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का भली प्रकार से परिसीलन किये बिना, अवलोकन किये बिना अपना निर्णय देने में कानून सम्मत भूल की है।

(3) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वप्रथम धारा 91 सी.पी.सी के प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को नही सुना ना ही उसका जवाब मागां उपरोक्त अपील धारा 91 की अनुमति के साथ पेश की जाती है। अध्यक्ष प्रशासन स्थाई समिति ने अपील पेश करने की अनुमति कब दी तथा ग्राम का प्रतिनिधित्व करना अपीलान्ट ने बताया है। मगर इसमें समस्थ ग्रामवासियों की तरफ से ग्राम सभा बुलाकर उसमें प्रतिनिधी चुना जाता है, ऐसा पत्रावली पर नही हैं। अगर ऐसा होता तो उसकी प्रतिलिपी पत्रावली पर अवश्य होती, मगर ऐसा नही है। इसलिए धारा 91 सी.पी.सी. की पालना के अभाव में फैसला निष्प्रभावी है।

(4) यह कि सार्वजनिक हित का वाद करते समय जाब्ता दीवानी की धारा आदेश 1 नियम 8 की पालना सुनिश्चत की जाती है। सार्वजनिक स्थान पर आपति नोटिस चस्पा किये जाते है। एक प्रति अखबार में साझा की जाती है। मगर ऐसा नही किया गया है। इसलिए विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध कानूनी प्रकिया अपनाये बिना दिया गया है, जो अपास्तनीय है।

(5) यह कि इस फैसला से पूर्व अहम कानूनी बिन्दू जो है, वह धारा 5 मियाद अधिनियम का है। अपील ईल्म से अन्दर मियाद पेश की है। अपील अन्दर मियाद नही है। उपरोक्त मियाद अधिनियम के अनुसार डे–टू–डे स्पष्ट करना पड़ता है, कि इस कारण देरी हुई है तथा 5 मियाद अधिनियम शपथ–पत्र के अभाव में स्वीकार करने योग्य थी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने योग्य है।

(6) यह कि सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान प्रार्थी से दुर्भावना रखता है। इसलिए उसने पड़ौसी की पट्टेशुदा दीवार को छोडकर नियतन प्रार्थी दिनांक 10.01.2022 को पहले नाली को निर्माण किया तथा दिनांक 10.01.2022 को सडक बनाने के लिए कि, जाने तोड फोड को छुपाने के लिए नाली बनाई तथा उसके बाद पर 19.01.2022 को सडक निर्माण की तथा समस्त तथ्यों की छुपाने की लिए उसकी स्वीकृती दिनांक 22.01.2022 को प्राप्त की जबकि यह सडक 22 जुलाई 2012 को बनी थी। प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए सही सडक को जान बुझकर तोडा है। इस बाबत् कोई ध्यान ना देकर फैसला देने में कानूनी व तथ्य सम्बंधी भूल की है।

(7) यह कि उपरोक्त तथा कथित फैसला में पट्टा 15 X 14 फीट को निरस्त किया है। तथा इस जगह कब्जा पुराना नही माना जबकि पुराना कब्जा को नियमित किया जाकर सही पट्टा जारी किया गया था। इस जगह पर टिन का छप्पर दिवार चबुतरी बनी थी। उसे पुलिस बल सहित हटाकर छप्पर जब्त कर पचायंत भवन में डाल रखा है।

(8) यह कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही का पता चलने पर प्रार्थी ने विकास अधिकारी पचायंत समिति नोहर को तथा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को

22/2/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर (हनुमानगढ़)

शिकायत प्रार्थना–पत्र पेश करने पर पंचायत के खिलाफ अभियोग दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश देने पर सरपंच ने मौजूदा अपील अपने निजी व्यक्तियों द्वारा करवा दी, अगर अपील के उपर आपत्ति तथा उसके समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर निर्णय देने में तथ्य सम्बधी भूल की है।

(9) यह कि अन्य वजुहात बर वक्त बहस निवेदन किये जावेंगें।

(10) यह कि निगरानी न्यायालय के श्रवणाधिकार की अन्दर मियाद तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः निगरानी प्रस्तुत करके निवेदन है। कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर निर्णय दिनांक 30.09.2022 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। पंचायत समिति नोहर की और से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर अपील संख्या 71/22 जिसकी रूह से पट्टा संख्या 18 दिनांक 16.12.2004 बहक हाकम अली प्रार्थी के पट्टा मे से आशिंक हिस्सा 14 X 15 माप तक पट्टा खारिज किया, जिसकी निगरानी न्यायालय हाजा में जैरकार है। अपीलांट चौगान की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। मेरी भूखण्ड 50 X 15 का पट्टा वर्ष 2004 को बना है। मेरी दुकान 15 X 35 की है बाकि भूमि पर शेड निर्मित किया हुआ है। सरपंच ने अपील से पहले ही मेरा शेड तोड़कर नाली निर्माण कर दिया, फिर सरपंच ने समझौता कर लिया। दिनांक 03.01.2022 को मेरी शेड को तोड़फोड़ कर दिया। दिनांक 18.01.2022 को विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ़ को शिकायत की गई। दिनांक 04.04.2022 को शिकायत हुई और सहमति पत्र लिखकर दिया। न्यायालय हाजा में पेश अपील आमजन व ग्रामवासियों की तरफ से पेश की है। अपील में 91 सीपीसी का नोटिस भी संलग्न नहीं है ओर न ही ये लिखा गया कि अप्रार्थी को कब प्रतिनिधि बनाया गया। प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 8 की पालना नहीं की गई। सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा भी नहीं किये गये। अपीलांट का पट्टा वर्ष 2004 मे बना हुआ है। वर्ष 2022 में अपील लेकर आये है। म्याद अधिनियम की धारा 5 की पालना की जानी आवश्यक है लेकिन अपील देरी से पेश की इसका कारण नहीं बताया गया। दिनांक 19.01.2022 को जबरदस्ती सड़क का निर्माण किया जबकि स्वीकृति 22.01.2022 की है। पूर्व में इस सड़का निर्माण कार्य 02.07.2018 को किया गया था। पुलिस बल को साथ लेकर मेरे शेड की तोड़फोड़ की। अप्रार्थीगणों अपील पेश कर दी एंव मेरा पट्टा खारिज करवा दिया। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ढिलकी मुख्य चौगान की जगह है। अपीलांट अपनी जगह को 36 X 15 को मिला कर 50 X 15 का पट्टा जारी करवाया। सार्वजनिक चौगान में इन्टरलॉकिंग हुआ तो आपति नही थी। नालियां भी बनी हुई है। बाद में निगरानीकर्ता ने बताया कि मेरा पट्टा बना हुआ है और श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ़ को इसकी शिकायत की गई। भूखण्ड 14 X 15 को कमेटी ने मौका देखकर खारिज कर दिया, नोटिस भी जारी नही हुआ। बयान लेकर खारिज किया गया है व बयान लेकर

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खारिज किया गया। धारा 91 सीपीसी में सार्वजनिक बाधा होनें पर, कोई भी व्यक्ति (2 या अधिक) शिकायत कर सकते है। पट्टा सही खारिज किया है। म्याद के बिन्दु के विषय में निगरानीकर्ता ने स्वंय वाद में बताया है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में पुनः कथन किया कि चौगान की जगह का कोई साक्ष्य नहीं है। सरपंच का लिखित समझौता मेरे कब्जे का है। ग्राम पंचायत का नहीं है। दो व्यक्तियों ने अपील की है। आदेश 1 नियम 8 की पालना पर कोई जवाब अप्रार्थी ने नहीं दिया(2 या अधिक व्यक्तियो को कब, किस प्रकार प्रतिनिधि चुना गया इसका उल्लेख नहीं है। म्याद अधिनियम की धारा–5 आवश्यक थी, जो नही है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

हमनें दोनों पक्षो की बहस सुनी और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से पता चलता है कि मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी ने निरीक्षण हेतु कोई सूचना–नोटिस जारी नहीं किया और कमेटी के निरीक्षण के दौरान कोई मौतबिरान का भी विवरण इस रिपोर्ट में नहीं है। पक्षकारों की उपस्थिति बाबत् भी कोई सूचना निरीक्षण रिपोर्ट से जाहिर नहीं होती है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में केवल निगरानीकर्ता के भूखण्ड बाबत रिपोर्ट की गई है जबकि आस–पास का समस्त वर्णन नहीं किया है जिससे यह तय कर पाना संभव नहीं है कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड के आगे गली की क्या स्थिति है। साथ ही कहीं भी सिद्ध नहीं होता कि यहा प्रार्थी का पुराना कब्जा नहीं है। निगरानीकर्ता को जारी पट्टा वर्ष 2004 का है जबकि उसे जरिये अपील 2022 में प्रशनगत करनें का क्या कारण रहे, म्याद बाबत भी कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल 2 ग्रामवासियों द्वारा इसे प्रशनगत करना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अगर समस्त ग्रामवासियों को निगरानीकर्ता के पट्टे से आपति थी तो दो ग्रामवासियों को किस प्रकार प्रतिनिधि बनाया गया, यह भी अप्रार्थीगण सिद्ध नहीं कर पाए है। आदेश–1 नियम 8 सीपीसी के बिंदु का भी कोई जवाब अप्रार्थीगण ने नहीं दिया है।

इन सभी बिंदुओं पर विचार के उपरांत यह तथ्य पाया गया है कि अधीनस्थ अदालत येन–केन प्रकरेण निगरानीकर्ता का पट्टा खारिज करनें को आमादा है। उनके द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। अतः यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होनें से निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीकृत आदेश दिनांक 30.09.2022 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/2/23

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)